उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सरफेसी एक्ट वाद संख्या – 29/2017

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, कॉंटाटोली बनाम् श्री राधा बल्लव हॉटीकल्चर प्रा०लि०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
12-09-2018	**– आदेश –** अभिलेख उपस्थापित। प्राधिकृत प्रदाधिकारी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, कॉंटाटोली द्वारा सेक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनन्सियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 14 के तहत् विपक्षी के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गये सम्पति/भूमि पर दखल कब्जा प्राप्त करने के लिए अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में वाद दायर किया गया है। फलस्वरूप न्यायालय द्वारा उक्त एक्ट के तहत् कार्रवाई प्रारंभ करते हुए संबंधित अंचल अधिकारी, माण्डू से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई, साथ ही इस वाद में बनाये गये विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, माण्डू का पत्रांक–403, दिनांक–05.04.2018 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत सम्पति/भूमि ग्राम–माण्डू, खाता नं०–20, सर्वे खतियान में गैर मजरूआ खास खाते की भूमि है। पंजी–II के पृ०सं०–79/IX में राधा दिनदयाल डोलिया, पिता–स्व० छेदीलाल डोलिया के नाम से मांग दर्ज है अंचल कार्यालय में उपलब्ध पंजी–27 के अनुसार क्रम०सं०–159/06–07 में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के दाखिल खारिज वाद संख्या–5/2006–07 दिनांक–28.12.2006 के पारित आदेश के अनुसार स्वीकृत किया गया है, दर्ज है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी पिछले कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे है, जिससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी की रूची उक्त दायर वाद में नहीं है। अतः अपीलार्थी की उदासिनता को देखते हुए एवं अंचल अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ खास खाते की भूमि है, जिसकी जमाबन्दी नियमित करने हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सक्षम प्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आते है।	

Scanned by CamScanner

अतः उक्त परिपेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा सेक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनन्सियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 14 के तहत् दायर आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। साथ ही अंचल अधिकारी, माण्डू को निर्देशित किया जाता है कि उक्त गैर मजरूआ खास खाते से संबंधित कायम जमाबंदी की विधिवत जांच कर नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसी मंतव्य के साथ वाद का निस्तार किया जाता है।

तद्नुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

12/9/18

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।

12/9/18

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।

621/विविध
22/9/18

Scanned by CamScanner